न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 186/2026
ताराबाड़ी थाना कांड संख्या– 06/2026

गोलू पासवान उर्फ मनीष पासवान.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

12-03-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त गोलू पासवान उर्फ मनीष पासवान की ओर से ताराबाड़ी थाना संख्या– 06/2026, अंतर्गत धारा 341(4), 305, 317(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 19.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार देसाई एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक मनोज कुमार के अनुसार यह है कि दिनांक18.11.2026 को समय करीब 09:30 बजे रात्री में उसके दुकान के बगल से फोन आया कि दुकान में करकट उखाड़कर कोई चोर घुस गया है। सूचना पर सूचक अपने परिवार के साथ पहुंचा तो देखा कि तीन लोग भाग रहा है। जब दुकान खोलकर देखा तो आलू के बोरा के पीछे बैठा था, उसका नाम पता पूछे तो उसने अपना नाम गोलू पासवान उर्फ मनीष पासवान बताया। पूछने पर बताया कि हम चार दोस्त थे, जो दुकान के उपर का चदरा उखारकर दुकान में चोरी करने घुस गया। घ ाटना की सूचना पुलिस को दिये जाने पर पुलिस दुकान पर आए और पकड़ाये चोर एवं एक बोरा मिर्चाई एवं एक बोरा लहसून अपने साथ जप्त कर थाना ले गये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के द्वारा विद्वान न्यायालय श्री विकास कुमार, न्या0 द0 प्रथम–श्रेणी के न्यायालय में नियमित जमानत दाखिल किया था, जिसे अस्वीकृत किया जा चुका है, इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक को चुरायी गयी वस्तु की कोई जानकारी नहीं है। आवेदक के पास से जप्त वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक दिनांक 19.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि कि आवेदक के विरूद्ध घर में घुसकर चोरी करने की बात कही गयी है, परंतु मामले में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वह आरोप निर्माण तक सदेह उपस्थित रहेगा। आवेदक द्वारा मो0 10,000/— (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।